कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/44 /स्था./अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2016 भोपाल दिनांक 23/2/2016

//आदेश//

व्यवसायिक परीक्षा मण्डल से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर वेतन बैंड पी.बी.–2 वेतनमान 9300–34800+ग्रेड पे 3200/– एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मँहगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त कर सरल क्रमांक–3 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र	व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना	श्रेणी/प्रावीण्य सूची क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अंकित वर्मा पिता श्री मनोहर वर्मा 24 साकेत नगर गायत्री मंदिर के पीछे देवास पिन – 455001	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड शाजापुर	श्रवण बाधित ओपन–1 अनु.जाति
2.	श्री ललित बारकले पिता श्री ग्यारसिंह बारकले बोकराता रोड पातीतहसील पाती बड़वानी पिन– 451661	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खण्ड सरदारपुर (धार)	अस्थि बाधित ओपन–1 अनु.जनजाति

यह नियुक्तियाँ निम्न शर्तों के अधीन होंगी :–

(1) उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी चयन सूची के वरिष्ठता क्रम के अनुसार रहेगी , जो पृथक से निर्धारित की जाएगी ।

(2) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी । संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी ।

(3) उक्त नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होगी ।

(4) अभ्यर्थी को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा । उसे समय–समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना होगी ।

(5) उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम–1976 के अध्यधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्यधीन रहेंगे ।

(6) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है । यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाए जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी ।

(7) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

(8) चयनित प्रत्याशी को एक माह में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उसकी नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(9) चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/ संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षा संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नही दिया जायेगा ।

(10) चयनित प्रत्याशी की पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

(11) यह नियुक्ति म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2005 के अधीन रहेगी ।

(12) कार्यभार ग्रहण करते समय, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करें ।

इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक–21 सन 1994) का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धार 6 (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

23/2/16
(जी.एस.डामोर)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक/ 1433 /स्था./अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2016 भोपाल दिनांक 24/2/16

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र भोपाल/इन्दौर/जबलपुर /ग्वालियर/वि./यां. भोपाल ।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ....मध्यप्रदेश ।
6. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड..............................म.प्र.। पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति के समय भी अर्हता एवं जाति प्रमाण पत्र आदि की जांच करा ले एवं रिक्त पदों पर उपखंड कार्यालय में पदस्थापना करना सुनिश्चित करें ।
7. महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
8. प्रभारी, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ,कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.स्वा.यां.विभाग भोपाल
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी संभागीय चिकित्सा बोर्ड इन्दौर ।
10. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी .उपखंड ....म.प्र. ।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
12. आदेश नस्ती ।

23/2/16
प्रमुख अभियंता